

राजस्थान सरकार  
स्कूल शिक्षा (गुप-5) विभाग

क्रमांक: प.12(6)शिक्षा-5/2014

जयपुर, दिनांक:

15/6/14

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा,  
बीकानेर, राजस्थान।

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014-15 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों के टाईम फ्रेम में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: प.12 (6) शिक्षा-5/2014 जयपुर, दिनांक: 3.2.2014 एवं पत्र क्रमांक प.12(6)शिक्षा-5/2014 दिनांक 15 मार्च 2014 के द्वारा सत्र 2014-15 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे। निर्देशानुसार इन दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित टाईम फ्रेम में, निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

| क. सं. | विवरण/भूतिविधि  | 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ | संशोधित तिथियाँ | 1 मई या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि को सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित तिथियाँ | संशोधित तिथियाँ | दायित्व निर्धारण            |
|--------|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|
| 1      | विज्ञापन जारी करना  | 15 फरवरी तक  | यथावत           | 15 अप्रैल तक  | 15 अप्रैल तक    | संबंधित निजी विद्यालय       |
| 2      | आवेदन पत्रों का वितरण   | 22 मार्च तक  | 9 जुलाई तक      | 14 जून तक   | 9 जुलाई तक      | संबंधित निजी विद्यालय       |
| 3      | आवेदन पत्र प्राप्ति   | 24 मार्च तक  | 10 जुलाई तक     | 16 जून तक   | 10 जुलाई तक     | संबंधित निजी विद्यालय       |
| 4      | आवेदन पत्रों की जांच एवं सही आवेदन पत्रों की वेब पोर्टल पर प्रविष्टि                          | 30 मार्च तक  | 15 जुलाई तक     | 29 अप्रैल तक  | 15 जुलाई तक     | संबंधित निजी विद्यालय       |
| 5      | ऑन लाईन लाटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम निर्धारण                           | 31 मार्च   | 17 जुलाई तक     | 30 जून तक   | 17 जुलाई तक     | राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा |
| 6      | बालकों का विद्यालय में प्रवेश   | 1 अप्रैल से  | 18 जुलाई से     | 1 जुलाई से  | 18 जुलाई से     | संबंधित निजी विद्यालय       |
| 7      | निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों की वेब पोर्टल पर एन्ट्री | 30 जून तक  | 31 जुलाई तक     | 31 जुलाई तक   | 31 जुलाई यथावत  | संबंधित निजी विद्यालय       |

क्रमशः ... 2 पर

// 2 //

यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। अतः इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को पूर्वानुसार तत्काल सूचित करावे तथा एनआईसी के माध्यम से वेब पोर्टल पर आवश्यक संशोधन को अपलोड करावे।

भवदीय,

*(Handwritten Signature)*

वरिष्ठ शासन उप सचिव,

## कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कमांक:-शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई/सी/नि:शुल्क सत्यापन/18878/13-14/288 दिनांक:-16.06.14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प.12(6)शिक्षा-5/2014 जयपुर दिनांक 15.6.14 के क्रम में।
3. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को अनुपालनार्थ प्रेषित करने का श्रम करावे।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा.....को पालनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).....को पालनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर